

भारत सरकार
 कार्यालय आयुक्त आयुक्त
 चारापत्ती

आदेश
 दिनांक : 01/04/2003

दिनांक 27-12-87 के न्याय विलेख/जापन द्वारा गठित
 भारत Manav Sewa Kendra

आयुक्त अति-

दिनांक 1961 की धारा 128क के अधीन रजिस्ट्रेशन हेतु दिनांक 31-03-2003
 को अंतिम प्रपत्र में आवेदन किया है, जो लगभग 15 वर्ष विद्यमान है।
 इससे आवेदन किये जाने के चारों में न्याय/संस्था द्वारा उपयुक्त
 प्रपत्र प्राप्त किया गया है, अंतः प्राप्त किया जाता है। अंतः प्रपत्रगत
 न्याय/संस्था का दिनांक 01-04-2000 से धारा 128क के अंतर्गत
 प्रपत्र प्राप्त किया जाता है।

धारा 128क के अधीन आवेदनों के लिए इस कार्यालय में रखे गये
 प्रपत्रों में 1006/03-04 क्रम संख्या पर आवेदन दर्ज कर लिया गया है।



30
 (आर० के० सिंह)
 आयुक्त आयुक्त
 चारापत्ती
 आयुक्त आयुक्त
 चारापत्ती

आयुक्त/62/मुख्यालय-1 / 1006/03-04

दिनांक : 01/04/2003

सूचनाएं :-

1. आयुक्त सहायक आयुक्त सचिव-1, चारापत्ती/गोरखपुर की सूचनाएं प्रेषित।
2. आयुक्त उपायुक्त, चारापत्ती परिषद, गोरखपुर एवं चारापत्ती सचिव राज को प्रेषित।
3. भारत Manav Sewa Kendra, C-33/45, C-27, Chittupur, Varanasi.

(अंतरा अंतः)

आयुक्त सहायक आयुक्त मुख्यालय-1
 आयुक्त आयुक्त चारापत्ती